

must come forward to have a dialogue with the employees and come to a settlement so that the railways move. Prices of all the commodities will rise further because of the railway strike.

12.22hrs.

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

श्री मधु लिमबे (बांका) : अध्यक्ष महादय, मैंने आज विशेषाधिकार का एक बाकायदा नोटिस दिया है। जो श्री शमीम के एक लेख के बारे में है। आप उस को मानें या न मानें, लेकिन आप मुझे उस को रखने के लिए थोड़ा समय दें। जब लोक सभा का सत्र चल रहा हो, तो सदस्यों को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महादय : माननीय सदस्य मुझे बतायें कि इस में प्रिविलेज कैसे इनवाल्ड है।

श्री मधु लिमबे : मैं अभी बताता हूँ।

अध्यक्ष महादय : आप ने "वित्त एंड ह्यूमर" पहले ही क्लीयर है। मैं श्री शमीम के बारे में जानता हूँ कि ही इज फांड आफ वित्त एंड ह्यूमर, लेकिन वह हमेशा पं नहीं करता है।

SHRI S. A. SHAMIM (Srinagar) : It is a very serious article, not humour. Please read it.

श्री मधु लिमबे : अध्यक्ष महादय, आप मुझे एक मिनिट के लिए अर्ज करने दीजिए। वह बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महादय : आप ने "वित्त एंड ह्यूमर" लिखा है।

श्री मधु लिमबे : मैं ने कहा है कि वह लाइटर वैन में लिखा गया है। मुझे याद है कि मैं ने क्या पत्र लिखा है। मैं ने कहा है कि जम्मू और काश्मीर के बारे में श्री बलराज पुरी और श्री शमीम दोनों ने मिल कर लाइटर वैन में, हंसी मजाक में एक लेख लिखा है। श्री शमीम स्वयं काश्मीरी हैं और श्री बलराज पुरी जम्मू के हैं। अगर वे अपने ऊपर थोड़ा बहुत मजाक करते हैं, तो क्या पुलिस अफसर 153ए के तहत विभिन्न समुदायों में दृशमनी पैदा करने के आरोप में उन के विरुद्ध वारंट निका-

लेगा ? आप हमेशा हमें कहते हैं कि जरा हंसी मजाक भी होना चाहिए। क्या एक पुलिस अफसर के हाथ में ये सारे अधिकार दिए गए हैं ? क्या आप इस सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे ? ये लोग कभी आप के किसी भाषण को लं कर आप को भी गिरफ्तार कर लेंगे। इस तरह लोक सभा कैसे चलेगी ?

अध्यक्ष महादय : लोक सभा के अन्दर कोई भाषण करने पर तो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बाहर कोई भाषण करूंगा, तो मुझे गिरफ्तार करेंगे, स्पिकर होने की वजह से मुझे छोड़ेंगे नहीं।

I am not going to allow any discussion on this. If a journalist, who is not a member of the House, were to write like this, has he under similar circumstances any protection from this House? Will your co-author have the same protection?

A journalist is subject to the ordinary law of the land. That poor fellow has no protection in this House. So long as Shri Shamim is speaking in this House, he is protected. But if he does something outside the House, he is not protected. After writing that article, he can come to this House. Nobody will arrest him so long as he is sitting in this House.

SHRI S. A. SHAMIM : My charge is against the State Government that because I am a member of the opposition they will arrest me. I am attributing *mala fide* to the State Government.

MR. SPEAKER : Do not try to mislead us.

SHRI S. A. SHAMIM : I am telling you that the State Government is trying to harass me because it does not like some of my utterances in this house. That is why I seek your protection.

श्री मधु लिमबे : आप इस लेख के बारे में अपना निजी निर्णय दीजिए। हम आप का जजमेंट मानने के लिए तैयार हैं।

SHRI S. A. SHAMIM : Sir, if you read this article and if you are convinced that the action against me is not *mala fide*, I will apologise.

अध्यक्ष महाद्वय : आप लोग बाहर लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। और फिर भागें भागें अन्दर आते हैं चूँकि मैं मॅम्बर हूँ, इस लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए।

No, Mr. Mavalankar, I am not allowing you.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai) : It seems that in this case the magistrate also signed the warrant in a lighter vein.

SHRI S. A. SHAMIM : Sir, have you read the article ?

अध्यक्ष महाद्वय : आप लोग हाउस में पास कर के मुझे यह अख्तियार दे दीजिए कि अगर बाहर आप के खिलाफ कोई जुर्म लगाया जाये, या कोई बात हो, तो उस के बारे में मैं फौसला दे दिया करूँ और कोई कोर्ट उस को न छेड़ सके।

May I ask the House one thing ? Every day he says he is going to be arrested. I am waiting for the day when he will be arrested. Kindly do not give so much publicity that you are going to be arrested. I do not know what is at the back of it. Is there any warrant or not ? You are taking the time of the House.

SHRI S. A. SHAMIM : I do not mind being arrested, provided you read the article and make others read it.

MR. SPEAKER : I will read it, But I want a guarantee that if I give my decision on it, that will be respected by the court.

SHRI S. A. SHAMIM : Yes, Sir.

MR. SPEAKER : How can he give that assurance ?

कभी कभी जेल में जाना बुरा नहीं होता।

SHRI S. A. SHAMIM : The copies may be kept in the Library. Let the people read it.

MR. SPEAKER : Don't make yourself a hero out of it.

पता नहीं वारंट है या नहीं, राज ले आते हैं। अगर नहीं भी है तो निकलवाएंगे।

श्री शंकर दयाल सिंह (चंतरा) : यह चाहते थे कि पूरा प्रचार हो जाय, वह हो गया।

अध्यक्ष महाद्वय : मुझे तो प्रचार ही मालूम होता है।

12.31 hrs.

KONKAN PASSENGER SHIPS (ACQUISITION) BILL

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI KAMLAPATI TRIPATHI) : Sir, I beg to move :

"That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the Konkan passenger ships in order to serve better the needs of the maritime passengers of the Konkan coastal region and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

मान्यवर, यह बहुत सीधा सा बिल है। इस में आरम्भ में ही मुझे बहुत ज्यादा कहना नहीं है। एक ऑर्डिनंस निकाला गया था कोकण पॅसेंजर शिप्स को अधिग्रहण करने के लिए और कोकण पॅसेंजर सर्विस की दो शिप्स "कोकण सेवक" और "सस्ता" ये अधिग्रहीत की गईं। इस के बाद उन को मांगल लाइन्स को दे दिया गया कोस्टल सर्विस चलाने के लिए। इस की जरूरत क्यों पड़ी यह जो वक्तव्य सदन के पटल पर रखा हुआ है उस के साथ दिया हुआ है।

यह चाँगले कम्पनी थी जो अपने शिप्स चलाया करती थी। उन की यह मांग थी कि किराये में वृद्धि की जाय और उन्होंने 42 प्रतिशत किराये की वृद्धि की मांग की थी। सितम्बर से ले कर नवम्बर तक उन्होंने अपने शिप्स को चलाना भी रोक दिया। उन का

*Moved with the recommendation of the President.